



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मई 2014—ज्येष्ठ 1, शक 1936

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2014

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति, [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामाज्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02 अप्रैल 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित श्रम विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—एक

(1) श्रम विभाग

अनुसूची—दो

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम (1) श्रम विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वी-कृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित विवरण	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या	योग	यदि किसी संवर्ग में किसी अस्थिर विवरण दर्शाया जाता है, तो उसकी टीप		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी।	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक शल्य चिकित्सक.	279	279	18	18	—	—	18	कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरेन्द्र कुमार बाथम, सचिव।